48800/

संख्या-4800/15-7-16(33)/1998

प्रेषक,

श्री अशोक गांगुली,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

Principal
Maharshi Vidya Mandir
Mandawa Nagar-Basti

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र 2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार नई दिल्ली ।

शिक्षा (7) अनुभाग लख ऊ: दिनांक: 20 फरवरी, 1998

विषय:- महर्षि विद्या मन्दिर बस्ती को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना ।

महोदय, -

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महर्षि विद्या मन्दिर बस्ती को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अपपत्ति नहीं है :-

(1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।

(2) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

(3) विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

(4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

(5) संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तें नहीं दिये जायेंगे ।

(6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

17. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।

18. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

19. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि

1. विद्यालय के भवन निर्माण हेतु क्रय की गई भूमि पर मानकानुरूप नवीन भवन का निर्माण करके दो वर्ष के भीतर अगत कराया जायेगा ।

2. कार्यरत कर्मचारियों के वेतन यथामानक/न्यूनतम मजदूरी के अनुरूप बैंक के माध्यम से किया जा रहा है ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त आपत्तित प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(अशोक गांगुली)
संयुक्त सचिव ।

पृ0सं0 4800(1)/15-7-1998 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2- क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, गोरखपुर ।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, बस्ती ।
4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5- प्रबन्धक, महर्षि विद्या मन्दिर मालवीय रोड बस्ती ।

आज्ञा से,

(अशोक गांगुली)
संयुक्त सचिव ।

Principal
Maharshi Vidya Mandir
Mandawa Nagar-Basti